न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2019
प्रकरण दर्ज तिथि :– 08.07.2019
जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00085

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रेशम पत्नि हाकम 2. रोशन पुत्र हाकम 3. समदा पुत्र हाकम 4. साजन पुत्र हाकम जाति मेहरात निवासी रावणिया तहसील रायपुर,		1. दुर्गा कंवर पत्नि भानुप्रताप सिंह 2. उदयकंवर पत्नि जसकेतनसिंह 3. मरूधर कंवर उर्फ अरूणाकुमारी पुत्री जसकेतनसिंह 4. तहसीलदार रायपुर 5. थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

: 1. श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2 अप्रार्थीगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 10.08.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानीसिंह सोलंकी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा रावणिया पटवार हल्का सुमेल भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा में खसरा नम्बर 1016/1 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई हैं। जिसकी जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तथा नक्शा ट्रेस की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर काफी समय से काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन पडौस के खातेदार खसरा नं 1016/430 के अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थीगण की उक्त आराजी में जोर जबरदस्ती व जमीन हडपने की बदनियती से माट धोरा पाली की सीमा को छेडछाड करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी को छेडछाड कर आये दिन विवाद करते रहते हैं। अप्रार्थी संख्या01 से लगायत 03 झगडालू प्रवृति का व्यक्ति हैं तथा राजनैतिक दबाव प्रभाव रखता हैं व हर समय गाली गलौच व विवाद करने पर आमादा रहता हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 01.03.2019 को अपनी कृषि भूमि की पैमाइश करने के लिये तहसीलदार रायपुर से पैमाईश शुल्क जमा करवाकर भूमि पैमाईश का आदेश पटवारी हल्का सुमेल को दिया जिसे पर अप्रार्थी संख्या 01 विवाद करने लगा, पटवारी हल्का ने विवाद होने से रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर को पेश की मौके पर विवाद की स्थिति व बिना पुलिस इमदाद के सीमांकन सम्भव नहीं हैं कि रिपोर्ट पेश की हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढढी व नेखबंदी हेतु श्रीमान् की सेवा प्रस्तुत किया हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। बहस समायत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा मौजा रावणिया पटवार हल्का सुमेल भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा में खसरा नम्बर 1016/1 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा रावणिया पटवार हल्का सुमेल भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा में खसरा नम्बर 1016/1 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रकिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी किया जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)